UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
Gurukul Kangri, Haridwar - 249404

No:-90 / 04/प्रकि0 कार्य संचा0 नियमा0 (संशो0)/Est./2016–17
Dated:31 May, 2016

Notification

In Pursuance of the Provisions of rule 11 (1) of Chapter- V of The Uttar Pradesh Public Service Commission (Regulation of Procedure) Act.– 1985 (Uttarakhand Adaptation and Modification Order -2002) the Uttarakhand Public Service Commission hereby Amendment the following Rules, namely

Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules, 2013- (First Amendment-2016)

1- Short title and Commencement	(1) This rules may be called the Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules, 2013- (First Amendment-2016). (2) It will come in to force at once.

2- After rule- 54 in Chapter-v title technical advisor the following rule 54 (a) is added-

54 (a) For the smooth conduct of the interview, the technical advisors shall be apprised of the stipulated rules and regulations by the Commission and/or Chairperson of the Interview Board. It shall be mandatory for the technical advisors to abide by the said rules and regulations. In case of violation of these rules and regulations, the services of the subject experts technical advisors may be dispensed with immediately without assigning any reason by the Commission/ Chairperson on the report of the Chairperson of the Interview Board.

By Order

(S.N. Pandey)
Secretary 31.05.2016

order

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार - 249404

संख्या : 90 /04/प्रकि0 कार्य संचा0 नियमा0 (संशो0)/अधि0/2016-17

दिनांक 31 मई, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रकिया का विनियमन) अधिनियम–1985 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) के अध्याय–5 की धारा–11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (प्रकिया एवं कार्य संचालन) नियमावली–2013 में निम्नवत् संशोधन करते है:–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (प्रकिया एवं कार्य संचालन) नियमावली–2013 (प्रथम संशोधन–2016)

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ — (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (प्रकिया एवं कार्य संचालन) नियमावली –2013 (प्रथम संशोधन–2016) है।
(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. अध्याय–5 के शीर्षक विषय–विशेषज्ञों (Technical Advisor) के अन्तर्गत नियम–54 के अन्त में नियम–54 (a) जोडा जाता है–

54 (अ) " साक्षात्कार परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आयोग एवं साक्षात्कार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा आयोग के निर्धारित नियमों से विषय–विशेषज्ञों (Technical Advisor) को अवगत कराया जायेगा प्रत्येक विषय–विशेषज्ञ को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा विषय–विशेषज्ञ/विशेषज्ञों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की दशा में साक्षात्कार परिषद् के अध्यक्ष की आख्या (Report) पर आयोग/अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित विषय–विशेषज्ञ (Technical Advisor) को बिना कारण बताये तत्काल साक्षात्कार परीक्षा से विरत किया जा सकता है।

आज्ञा से

(एस0एन0 पाण्डे) 31.05.2016

सचिव

adhi suchna